भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2505
(22 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा योजना के लिए बजट आवंटन में कटौती ओर मज़दूरों पर इसका प्रभाव

2505. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोविड काल के दौरान , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ने मजदूरों को उनके घरों और गांवों में मजदूरी प्रदान की , जिससे उनके जीविका में सहायता मिली;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इस योजना के बजट प्रावधानों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 2023-24 में मनरेगा के तहत बजट आवंटन घटाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) के माध्यम से डीबीटी प्रोटोकॉल के अनुसार लाभार्थी के बैंक/डाकघर खातों में सीधे मजदूरी का भुगतान कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान , महात्मा गांधी नरेगा के तहत कुल 389.09 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए और कुल 1.91 करोड़ नए जॉब कार्ड जारी किए गए थे।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान , इस योजना के तहत कुल 363.22 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए और कुल 1.22 करोड़ नए जॉब कार्ड जारी किए गए थे।

(ख): 2017-18 से 2021-22 तक पिछले पांच वित्तीय वर्षों के बजट अनुमान चरण और संशोधित अनुमान चरण में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत निधि आवंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रुपए करोड़ में)

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1	2017-18	48,000	55167.06
2	2018-19	55,000	61830.09
3	2019-20	60,000	71001.81
4	2020-21	61,500	1,11,500
5	2021-22	73,000	98,000

(ग) और (घ): वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए बजट अनुमान चरण में 60,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो के लिए निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर काम की मांग के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो को निधि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह मंत्रालय जमीनी स्तर पर काम की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर वित्त मंत्रालय से महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधि की मांग करता है।

*****